

जमीन आपकी... आसमान आपका... खुशियों भरा ये जहान आपका

विभिन्न स्थानों
से दूरी

2 मिनट
फॉर्मूला-1 ट्रैक
से

50 मिनट
इंडिया गेट
से

40 मिनट
अक्षरधाम
से

30 मिनट
डीएनडी
से

योजना खुलने की तिथि : 03.08.2015

योजना बन्द होने के तिथि : 02.09.2015

झा की तिथि : 02.11.2015

YEIDA प्रस्तुत करते हैं
120 वर्ग मीटर/162 वर्ग मीटर आकार के आवासीय भूखण्ड

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण
में आवासीय भूखण्डों के
आवंटन की नियम एवं शर्तें

सेक्टर-22डी

आर.पी.एस.-02 / 2015 के लिये महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि : 03 / 08 / 2015

आवेदन की अन्तिम तिथि : 02 / 09 / 2015

आवंटन ड्रा के आधार पर किया जायेगा

ड्रा की संभावित तिथि : 02 / 11 / 2015

1. योजना और स्थान का विवरण:-

यमुना एक्सप्रेसवे के साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कब्जा प्राप्त भूमि पर विकसित किये जाने वाले आवासीय भूखंडों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। प्रस्तावित स्थल सेक्टर-22डी में है। जिस भूमि पर भूखंडों को विकसित किया जाएगा उसे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया है।

2. भूखंडों का विवरण:-

क्र.सं.	प्लॉट का साइज (वर्ग मी. में)	प्लॉटस की संख्या*			पंजीकरण राशि (रु में)	
		कुल	सामान्य वर्ग	कृषक वर्ग	सामान्य	अजा/अजजा
1	120	600	465	135	1,71,000/-	85,500/-
2	162	300	232	68	2,31,000/-	1,15,500/-

टिप्पणी— प्राधिकरण बिना कारण बताये अपने विवेक से प्लॉट की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है।

अगर न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकरण के आदेशानुसार प्राधिकरण को भूमि का मुआवजा/अधिग्रहण लागत/कोई मुकदमेबाजी न करने के लिए प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि बढ़ा कर देनी पड़ी तो पट्टेदार/आवंटी द्वारा समानुपातिक वृद्धि की अंशराशि का भुगतान प्राधिकरण के मांग के अनुसार करना होगा।

3. निर्धारित आरक्षित श्रेणियाँ:-

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु अधिग्रहित/कय की गयी है।	17.5 प्रतिशत
2.	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कार्यात्मक संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयाँ	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	22.5 प्रतिशत

नोट:-

- कार्यात्मक संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक इकाइयों/प्रतिष्ठानों और किसान जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है उनके लिए आरक्षित भूखंडों में से क्रमशः 21% और 2% भूखंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे।
- विकलांगजन के लिये निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अन्तर्गत और बोर्ड की 49वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.02.2014 के निर्णयानुसार कुल 03 प्रतिशत हौरीजोण्टल आरक्षण, ऊपर बतायी गयी आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमत्य होगा।
- विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को भूखंड आवंटित किये जाने के बाद यदि भूखंड शेष रहते हैं तो शेष भूखंडों को ड्रा के समय सामान्य श्रेणी को हस्तांतरित किया जाएगा।

4. भूखंड का प्रीमियम:-

इस योजना के तहत आवासीय भूखंड की भूमि की दर रु0 14,200.00 (चौदह हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रतिवर्ग मीटर है।

5. भुगतान की प्रक्रिया:-

सभी प्रकार के भुगतान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंक शाखाओं के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में देय होंगे। प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की गई बैंकों की सूची ब्रोशर के आखिरी पेज पर दी गई है।

भुगतान यमुना एक्सप्रेसवे की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर नेट बैंकिंग की सहायता से भी की जा सकती है। नगद भुगतान मान्य नहीं होगा।

6. आवंटन की प्रक्रिया:-

- आवंटन भूखंड संख्या के ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से ड्रा किया जाएगा।
- श्रेणी के अन्तर्गत, पहला ड्रा उन आवेदकों के लिए आयोजित किया जायेगा जिन्होंने भुगतान योजना के रूप में विकल्प 1 चुना है।
- इसके बाद शेष बचे भूखंडों के लिए दूसरा ड्रा उन आवेदकों के लिए आयोजित किया जायेगा जिन्होंने भुगतान योजना विकल्प 2 चुना है।
- इसके बाद शेष बचे भूखंडों के लिए तीसरा ड्रा उन आवेदकों के लिए आयोजित किया जायेगा जिन्होंने भुगतान योजना विकल्प 3 चुना है।

7. पंजीकरण राशि का समायोजन/रिफंड:-

- सफल आवेदकों की पंजीकरण राशि भूखंड की कुल देय प्रीमियम धनराशि में समायोजित की जायेगी।
- असफल आवेदकों के मामले में पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी, यदि प्राधिकरण में असफल आवेदकों के पंजीकरण राशि की जमा की अवधि ड्रा होने

की तारीख से 12 महीने से कम हुई और भुगतान झा की दिनांक से 12 महीने के बाद किया जाता है तो ऐसे मामले में पंजीकरण राशि का भुगतान 12 महीने से अधिक अतिरिक्त अवधि के लिए 4% वार्षिक दर के साधारण ब्याज के साथ वापस की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान की गई पंजीकरण राशि पर ब्याज की गणना झा निकलने के 366वें दिन से शुरू हो जाएगी। जमा की अवधि 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

(iii) आवेदक, स्वयं के हित में अपना बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक का पता उल्लेखित करेगा। ताकि पंजीकरण करने वाले बैंको द्वारा धन वापसी के चेक / एनईएफटी / आरटीजीएस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

8. भुगतान विकल्प:-

भूमि की प्रीमियम धनराशि जमा करने के लिए आवंटियों के पास निम्न विकल्प उपलब्ध हैं:-

विकल्प 1:

- आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर कुल प्रीमियम धनराशि का 100% (पंजीकरण शुल्क सहित) भुगतान।

विकल्प 2:

- आवंटन पत्र जारी होने के तिथि 60 दिनों के अंदर कुल प्रीमियम धनराशि का 50% (पंजीकरण शुल्क सहित) भुगतान।
- शेष 50 प्रतिशत धनराशि 2 बराबर छःमाही (12 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छःमाही) किश्तों में देय होगी। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 61वें दिन से की जायेगी।

विकल्प 3:

- आवंटन पत्र जारी होने के तिथि 60 दिनों के अंदर कुल प्रीमियम का 30% (पंजीकरण शुल्क सहित) भुगतान।
- शेष 70 प्रतिशत धनराशि 8 बराबर छःमाही (12 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छःमाही) किश्तों में देय होगी। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 61वें दिन से की जायेगी।

9. भुगतान करने के लिए समय सीमा में वृद्धि:-

सभी भुगतान निर्धारित समय में करना होगा और समान्यतः आवंटन राशि के भुगतान के लिए समय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। फिर भी, विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अधिकतम 30 दिनों का समय विस्तरण दिया जा सकता है। समय विस्तरण की दशा में 15% वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

10. पट्टा और पट्टा किराये की अवधि:-

- भूखण्ड का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर किया जायेगा।
- भूखण्ड का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर किया जायेगा और पट्टे का किराया पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले भूखंड की कुल लागत का 11% की दर से एकमुश्त देय होगा।

11. आवंटित भूखंड क्षेत्र:-

कुछ मामलों में, प्लॉट का कब्जा सौंपने के समय आवंटित भूखंड का क्षेत्र थोड़ा भिन्न (अधिक या कम) हो सकता है। ऐसे मामलों में, भूखण्ड का भूखण्ड की कुल प्रीमियम धनराशि में समानुपातिक रूप से निर्धारित की जायेगी। यदि भूखण्ड के क्षेत्र में 10% या उससे कम अन्तर है तो इस आधार पर आवंटी के पास भूखंड समर्पण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आवंटित क्षेत्र में भिन्नता 10% से अधिक भिन्नता है तो आवंटी आवंटन स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह भूखण्ड समर्पण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। समर्पण के ऐसे मामलों में रु० 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) की टोकन राशि प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में काट ली जाएगी और बाकि राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

12. जहाँ है जैसे है के आधार पर:-

आवंटी को भूखंड का आवंटन जहाँ है जैसे है के आधार पर किया जाएगा और उसे वह स्वीकार करना होगा।

13. आवंटन, कब्जा, निर्माण और उप-विभाजन:-

- भूमि की उपलब्धता के आधार पर, प्राधिकरण अपने विवेक से आवंटन के लिए उपलब्ध भूखंडों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है।
- इस योजना में भूखण्ड का आवंटन मैन्युअल झा के द्वारा किया जाएगा। झा के अनुमानित तिथि 02.11.2015 है। वास्तविक झा की तिथि के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से आवेदकों को सूचित किया जाएगा और इसकी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- सफल आवेदकों को आवंटन पत्र झा की तिथि के बाद 30 दिनों के अन्दर भेजा जाएगा।
- प्रत्येक मामले में आवंटित भूखंड का कब्जा कुल प्रीमियम धनराशि (पंजीकरण राशि सहित) की कम से कम 50% धनराशि जमा कराये जाने के बाद दिया जायेगा।
- आवंटी द्वारा पट्टा विलेख तथा आवंटन के समय प्राधिकरण में प्रभावी भवन विनिर्मावली के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराया जा सकेगा।
- पट्टेदार/आवंटी आवंटित भूखंड को विभाजित करने के लिए या किसी भी अन्य भूखण्ड को साथ मिलाने मिलाने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

14. निर्माण की अवधि:-

आवंटी/पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन की देय तिथि से तीन साल के भीतर भूखंड पर अधिकतम अनुमेय एफ.ए.आर क्षेत्र में 50% निर्माण कार्य करना होगा और प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस मामले में अगर पट्टेदार निर्धारित समय अवधि के भीतर भवन का निर्माण नहीं करता है तो समय के विस्तार की अनुमति निम्न दरों पर विस्तार प्रभार के भुगतान पर दी जा सकती है:

- पहले साल के लिए भूखंड की कुल प्रीमियम का 4%
- दूसरे वर्ष के लिए भूखंड की कुल प्रीमियम का 5%
- तीसरे वर्ष के लिए भूखंड की कुल प्रीमियम का 6%
- 3 साल के बाद इस तरह के विस्तार के अनुमति के समय प्रचलित भूखण्ड दर का प्रति वर्ग मीटर का 4%

15. पात्रता आवेदन:-

ए. सामान्य श्रेणी

- (i) आवेदक अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए और वयस्कता (18 वर्ष) की आयु प्राप्त कर ली हो।
- (ii) सभी भारतीयों/अनिवासी भारतीयों जिसे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन्हीं भी विशिष्ट नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में किसी भी अचल संपत्ति को खरीदने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो, आवेदन करने के पात्र हैं।
- (iii) पात्र व्यक्ति इस योजना में केवल एक भूखंड के लिए ही आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस योजना में एक से अधिक भूखंड के लिए आवंटन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। इस योजना में आवेदन करने के लिए वे व्यक्ति/संस्था पात्र नहीं हैं जिन्हें यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य योजना में भूखंड/भवन आवंटित किया गया है।
- (iv) आवेदक, उसकी/उसके पति या पत्नी या उसकी/उसके नाबालिग आश्रित बच्चों के लिए केवल एक ही भूखंड हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि यह पाया जाता है कि एक आवेदक ने उसकी/उसके पति या पत्नी या उसकी/उसके नाबालिग आश्रित बच्चों के लिए एक से अधिक भूखंड के लिए आवेदन किया है तो उसकी/उसके सभी आवेदन/आवंटन रद्द कर दिये जाएंगे और पंजीकरण राशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

बी. निर्धारित आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए पात्रता:-

- (i) आवेदक अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए और वयस्कता (18 वर्ष) की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए।
- (ii) केवल ऐसे आवेदक/संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या उनके प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/भागीदार/एकल स्वामी/मालिक/ट्रस्टी और कार्यकाल धारक/सह कार्यकाल धारक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गई है। तथा उन्हें पूर्व योजना में जिनको आवासीय भूखंड/भवन किसी अन्य योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया गया हो। वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।

सी. पात्र वास्तविक संस्था:-

निम्नलिखित शर्तों को योजना बन्द होने के तिथि व उससे पूर्व पूर्ण करने के दशा में वास्तविक संस्था इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

- (i) दिनांक-30.06.2015 या उससे पूर्व प्राधिकरण द्वारा संस्था को संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किया गया हो तथा संस्था द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादित कराकर प्राप्त कर लिया हो एवं संस्था द्वारा अपनी इकाई के लिए क्रियाशील प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्रियाशील प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना पड़ेगा।
- (ii) संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक को योजना की अंतिम तिथि तक प्राधिकरण को प्रीमियम, लीज किराया, ब्याज आदि देय बकाया राशि न होने की मंजूरी होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (iii) यदि आवेदन संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखंड आवेदन निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/न्यासी/कार्यकारी सदस्य के द्वारा किया जा रहा है, तो उनका नाम योजना समाप्त होने की तिथि या उससे पूर्व प्राधिकरण के संबंधित विभाग के रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए।
- (iv) यदि आवेदन शैक्षिक संस्थान द्वारा किया जाता है, तो उनके निदेशकों/न्यासी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यकारी के सदस्यों के नाम योजना समाप्त होने की तिथि या उससे पूर्व प्राधिकरण के संबंधित विभाग के रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। एक संस्था केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र है।
- (v) ऐसे/वे संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य भूखंड हेतु पात्र नहीं होंगे जिन्हें संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखंड अपने पक्ष में अन्तर्गत कराया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवासीय भूखंड/भवन आवंटित हो चुका है।
- (vi) किसी संस्थागत/औद्योगिक/वाणिज्यिक के नाम अथवा उनके प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी/सदस्य के लिए योजना में एक ही भूखंड हेतु पात्रता होगी ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिनके पक्ष में प्राधिकरण में एक से अधिक भूखंड आवंटित हो।
- (vii) चैरिटेबल/धर्म संस्था और उसके सदस्यों/न्यासी आवासीय प्लैट के आवंटन के पात्र नहीं हैं।
- (viii) आवेदक कंपनी को यह प्रस्ताव देना होगा कि कंपनी स्वयं के नाम से अथवा एकल स्वामी/साझेदारी/पूर्णकालिक के नाम से आवेदन कर रही है अतः कम्पनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु उसको अधिकृत किया गया हो।

डी इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता की शर्तों और आवंटन की प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- (i) ऐसे कृषक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे जिनकी भूमि इस योजना की तिथि समाप्त होने की तिथि से पहले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गई है और निर्विवाद/अतिक्रमण मुक्त कब्जा कर लिया गया है। (आवेदक कृषक को विवरणिका में दिए गए प्रपत्र के अनुसार 100/- रुपये के स्टाम्प पर अंडरटेकिंग-I जमा करना होगा)
- (ii) यदि भूस्वामी अथवा उसके पति/पत्नी/आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही भूखंड/भवन आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (iii) यदि किसी खाते में एक से अधिक सहखातेदार है, ऐसे दशा में समस्त सह-खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इन समस्त सह-खातेदारों के मध्य झ्र करके एक सफल सह-खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सह खातेदार को योजना के अन्तिम झ्र ऑफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।
- (iv) इस श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक/आवंटी आवंटित भूखंडों को आवंटन तिथि के पांच साल तक हस्तान्तरित नहीं कर सकते हैं।
- (v) अधिगृहीत भूमि के अलावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवेदन पत्र भरा गया हो, पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए इस आशय में आवेदक कृषक को विवरणिका में दिए गए प्रपत्र के अनुसार 100/- रुपये के स्टाम्प पर अंडरटेकिंग-II जमा करना होगा)
- (vi) आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/विवाद के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-11 की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ जमा करानी होगी।
- (vii) कृषक आवेदक और उसके सभी खातेदारों को एक आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि वह अतिक्रमण/मुआवजा एवं अतिरिक्त भूमि हेतु किसी भी न्यायालय में बाद दर्ज नहीं करायेगा।
- (viii) यदि, सत्यापन या किसी भी स्तर पर ऊपर लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आवेदन पत्र को खारिज कर पंजीकरण धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

16. आवेदन कैसे करें:-

- आवेदन पत्र रुपये 1000/- के भुगतान के साथ विवरणिका में अंकित बैंक शाखाओं से प्राप्त कर सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को वरिष्ठ प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सी-1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के पक्ष में 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा।
- आवेदन फार्म प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस स्थिति में विवरणिका के मूल्य के लिए रुपये 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सी-1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के पक्ष में जिसकी देयता नोएडा/ग्रेटर नोएडा/दिल्ली पर होगी जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किये गए फॉर्म की विवरणिका के अंतिम पेज पर उल्लिखित किये गए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की शाखाओं में जमा करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भरा जा सकता है।
- किसान श्रेणी के लिए आवेदन फॉर्म आवेदन पत्र की पावती रसीद संबंधित बैंकों द्वारा दी जाएगी।

क्रम सं०	बैंक कोड	बैंक/शाखा का नाम एवं पता
1	01	एचडीएफसी बैंक, सी-1, अल्फा प्लाजा अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा। एचडीएफसी बैंक, दुकान नं. 3/4/11, भूतल, ब्लॉक नं.-17/2/4, फ्रेंड्स प्लाजा, संजय पैलेस, आगरा। एचडीएफसी बैंक, 3-316, भलीया कॉम्प्लेक्स, देवत्रय अस्पताल के निकट, रामघाट रोड, अलीगढ़। एचडीएफसी बैंक, 169/2, गौशाला रोड, भूतेश्वर रोड बाई पास रोड, मथुरा। एचडीएफसी बैंक, 460, डी.एम. रोड, बुलन्दशहर। एचडीएफसी बैंक, विशाल मोटर्स, सादाबाद गेट, आगरा-अलीगढ़ रोड, हाथरस। एचडीएफसी बैंक, एनएच प्लाजा, जी.टी. रोड, एलआईसी बिल्डिंग के निकट, खुर्जा, यू.पी.।

- विधिवत भरा हुआ और आवश्यक पंजीकरण पैसे के साथ हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म योजना के खुलने और बंद होने की अवधि के बीच किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस पुस्तिका के पृष्ठ पर सूचीबद्ध बैंक शाखाओं में से किसी में भी जमा किया जा सकता है।
- अगर आवेदन किसी भी सम्बन्ध में अधूरा है और कोई कॉलम खाली छोड़ दिया गया है या फोटो निर्दिष्ट स्थान पर नहीं चिपकाया गया है या अधूरा एवं झूठा पता दिया गया है या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर संलग्नित नहीं किया गया है या हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र की पावती रसीद संबंधित बैंकों द्वारा दी जाएगी।

क्रम सं०	बैंक कोड	बैंक/शाखा का नाम एवं पता
1	01	एक्सिस बैंक, सैक्टर-16, नोएडा। एक्सिस बैंक, सैक्टर-18, नोएडा।
2	02	एक्सिस बैंक, 6/83, पदम सिंह रोड, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली।
3	03	बैंक ऑफ बड़ोदा, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-02, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा। बैंक ऑफ बड़ोदा, सैक्टर-गामा-02, ग्रेटर नोएडा।
4	04	एचडीएफसी बैंक, सी-1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा। एचडीएफसी बैंक, जी-28/29, प्रथम तल, सैक्टर-18, नोएडा। एचडीएफसी बैंक, एच-69, आउटर सर्कल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक, शोपरिक्स मॉल, सैक्टर-61, नोएडा।
5	05	आईसीआईसीआई बैंक, पी-2, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा। आईसीआईसीआई बैंक, के-1, सीनियर मॉल, सैक्टर-18, नोएडा।
6	06	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्शियल, जगत फार्म, सैक्टर-गामा-01, ग्रेटर नोएडा।

17. आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में बदलाव :-

- एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद केवल पते में परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी। किसी भी अन्य बदलाव के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी ओर से प्रतिनियुक्त अधिकारी से लिखित में एक अनुमोदन आवश्यक होगा।
- पते में बदलाव की रचना, यदि कोई हो, प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। आवेदक को निर्देशित पत्र को प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि, पते में परिवर्तन के कारण आवेदन पत्र की प्राप्ति में देरी होने की दशा में भी आवंटन राशि व किश्त जमा करने के लिए आवंटन पत्र जारी करने की तिथि ही प्रभावी रहेगी।

18. आहरण/समर्पण:-

- झा से पहले समर्पण के मामले में जमा पूरी पंजीकरण राशि ब्याज के बिना वापस की जायेगी।
- किसी आवंटन पत्र जारी किए जाने से पहले आवेदन की वापसी के मामले में, पंजीकरण राशि से 10,000 रुपये की राशि घटाने के बाद, शेष राशि किसी भी ब्याज के बिना लौटा दी जाएगी।
- आवंटन के बाद, लेकिन पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले किसी भी समय समर्पण के मामले में, पंजीकरण राशि के बराबर की राशि घटाने के बाद, शेष राशि ब्याज के बिना लौटा दी जाएगी।

- (iv) पट्टा विलेख के निष्पादन के बाद किसी भी समय समर्पण के मामले में, जमा की गयी राशि से प्लॉट के कुल प्रीमियम का 30% काट लिया जाएगा और शेष राशि ब्याज के बिना लौटा दी जाएगी।
- (v) आवेदन का समर्पण और वापसी के लिए आवेदन या तो पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से टिकट लगी रसीद के साथ प्राधिकरण के स्वागत कार्यालय में जमा किया जा सकता है। जिस तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्राधिकरण में प्राप्त होगा वही समर्पण/वापसी की तिथि होगी। डाक प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी दावे को मंजूर नहीं किया जाएगा।
- (vi) आवंटी द्वारा आवेदन की वापसी के समय पंजीकरण फार्म, आवंटन पत्र की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
- (vii) वापसी/समर्पण के आवेदन पर आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य है और एक स्वयं से प्रमाणित किया गया फोटो भी आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट करना होगा।

19. निरस्तीकरण:-

- प्राधिकरण/पट्टा दाता निम्नलिखित स्थिति में किसी भी समय आवंटन/लीज को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (i) गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
- (ii) प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
- (iii) आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।
- (iv) लगातार तीन किस्तों के जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
- (v) उप प्रस्तर (1, 2, 3, व 4) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राधिकरण आवंटी/पट्टाधारक के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाई शुरू कर सकता है।
- (vi) खंड (iv) के अधीन जब्त कि गई राशि प्राधिकरण के पास जमा राशि से अधिक नहीं होगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना जारी नहीं कि जाएगी।

20. बहाली:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी रद्द प्लॉट को पुनः बहाल कर सकता है अगर आवंटी आवंटन रद्द होने के 6 माह के अंदर पुनः बहाली की अर्जी दे और तब तक की सारी बकाया राशि जमा कर दें। प्राधिकरण बहाली शुल्क के रूप में कुल प्रचलित प्रीमियम का 10 प्रतिशत राशि चार्ज करेगी।

21. निष्क्रिय प्रॉपर्टी पर अधिमावी शक्ति:-

पट्टादाता प्लॉट पर या प्लॉट के अंदर मौजूद सभी खनन, कोयला, सोना, तेल आदि पर पूरा अधिकार रखता है और किसी भी समय इसे खोजने, इस पर काम करने या प्राप्त करने, हटाने और अन्य किसी प्रकार का आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है फिर चाहे उस प्लॉट पर कोई संरचना बनी हो या प्लॉट खाली हो। उपरोक्त अधिकारों के उपयोग से हुई क्षति के लिए पट्टादाता आवंटी/पट्टाधारक को उचित मुआवजा प्रदान करेगा। मुआवजे की राशि पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम और आवंटी/पट्टाधारक को मान्य होगा।

22. पट्टा विलेख का निष्पादन:-

- (i) आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 60 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज/पट्टा प्रलेख (लीज डीड का निष्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) उपरोक्त दस्तावेज के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य सभी खर्च आवंटी द्वारा वहन किये जाएंगे।

23. बंधक:-

कोई पट्टेदार, पट्टादाता या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी के पिछले लिखित अनुमति के साथ, कोई पट्टेदार किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण के प्रयोजनों के लिए लीज प्लॉट (यानी पट्टा विलेख के निष्पादन के बाद) बंधक रख सकता है। गिरवी रखने के लिए अनुमति देने की स्थिति में प्राधिकरण पहले बंधक रखे गए प्लॉट का शुल्क अर्जित करेगा। अन्य सभी नियम और शर्तें जिसके तहत बंधक की अनुमति गई है आवंटी को मान्य होगा।

24. भूखण्ड का स्थानांतरण:-

- (i) कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में आवंटी पट्टाधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व में लिखित अनुमति के आधार पर प्लॉट आवंटी पट्टेदार के कानूनी उत्तराधिकारी को प्लॉट स्थानांतरित कर दी जाएगी, अनुमति प्रदान करने की तिथि को जो शर्तें निर्धारित की गई थी उसके अधीन तथा शर्तों को पूर्ण करते हुए इस सम्बद्ध में उत्तराधिकारी को कोई स्थानांतरण शुल्क अदा नहीं करना होगा।
 - (ii) कानूनी उत्तराधिकारी के अलावा किसी और को मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवंटी/पट्टाधारक को पूर्व में लिखित अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के बिना आवंटी/पट्टेदार के कानूनी उत्तराधिकारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को प्लॉट को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। इस तरह की अनुमति देने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्तान्तरण की अनुमति देने की तिथि को प्राधिकरण की नीति के अनुसार निर्धारित स्थानांतरण शुल्क आवंटी/पट्टेदार को अदा करना होगा और अन्य नियम एवं शर्तें माननी होंगी।
- हस्तान्तरण की अनुमति तभी प्रभावी होगी जब हस्तान्तरण की अनुमति देने वक्त निर्धारित की गए अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो और हस्तान्तरण शुल्क अदा किया गया हो। एक आवंटी/पट्टेदार द्वारा स्थानांतरण के लिए इस तरह के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी पे निहित होगा।

25. भूमि का उपयोग:-

आवंटित/ पट्टे का भूखंड केवल आवासीय प्रयोजन के लिए है और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आवंटी ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा जिसके कारण भूमि के उपयोग की दशा बदले या प्रदूषण या अपद्रव्य होने की संभावना बने। प्लॉट का दूकान, कार्यालय, क्लीनिक, नर्सिंग होम, स्कूल आदि जैसे किसी गैर आवासीय प्रयोजन से भूमि का उपयोग करने पर इसे नियम एवं शर्तों का उलंघन माना जायेगा तथा आवंटन/पट्टा रद्द कर दिया जायेगा। प्राधिकरण पट्टान्तरित परिसर को सील कर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

26. करों के भुगतान का दायित्व:-

आवंटी/पट्टाधारक को भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में इस आशय में पट्टादाता या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों के सभी दरों का भुगतान स्वयं करना होगा।

27. अन्य खंड:-

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय समय पर नियमों और आवंटन की शर्तों में कोई प्रवर्धन/परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके और यह आवंटी/पट्टाधारक को मान्य होगा।
- इस नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और आवेदक के लिए मान्य होगा।
- आवंटी को भूमि, भवन और आसपास के क्षेत्रों के रखरखाव के लिए प्राधिकरण या इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और विनियमों और उपनियमों के तहत बनाए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप अगर प्राधिकरण आवंटन देने या भूखंड का कब्जा देने में असमर्थ होता है तो जमा करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक द्वारा जमा पूरी राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाकर वापस कर देगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि जमा करने की माह और वापसी के माह की गणना ब्याज देने के प्रयोजनों में नहीं होगी।
- प्राधिकरण/पट्टादाता और आवंटी/पट्टाधारक के बीच कोई भी विवाद गौतम बुद्ध नगर सिविल अदालतों और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन होगा।
- प्राधिकरण को अदेय सभी राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली जाएगी।
- पंजीयन राशि के रूप में छोटी सी राशि जमा करने पर आवेदक भूखंड के आवंटन के अधिकारी नहीं होंगे।
- ब्रोशर के हिन्दी और अंग्रेजी अलेख में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी अलेख अंतिम होगा और आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक को मान्य होगा।
- प्राधिकरण के पास किसी भी समय बिना कोई कारण बताए योजना को संशोधित/वापस लेने का अधिकार है।

टिप्पणी — ब्रोशर के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख में यदि कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी आलेख अन्तिम एवं मान्य होगा।

अधिक जानकारी के लिये:-

मैनेजर (सम्बन्धी)

(प्रॉपटी : आर.पी.एस. — 02/2015, आवासीय भूखंड योजना)

दूरभाष सं:- 0120-2395152, 2395157 फैक्स सं:- 0120-2395150

वेबसाइट:- www.yamunaexpresswayauthority.com

आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से ऑनलाइन डाउनलोड / जमा कर सकते हैं।

'अन्डरटेकिंग' पेज 15 पर उपलब्ध है।

**TERMS AND CONDITIONS
FOR ALLOTMENT
OF
RESIDENTIAL PLOTS**

**IN
SECTOR – 22D
OF
YAMUNA EXPRESSWAY AREA**

IMPORTANT DATES FOR RPS - 02/2015

Scheme opens on 03.08.2015

Scheme closes on 02.09.2015

Allotment on draw basis

Tentative date of draw 02.11. 2015

1. DETAILS OF THE SCHEME AND LOCATION:

Applications are invited for allotment of residential plots to be developed on the land under possession of Yamuna Expressway Industrial Development Authority along the Yamuna Expressway. The proposed site is in sector 22D. The land on which the plots would be developed has been acquired by the Authority.

2. DETAILS OF PLOTS:

Sl. No.	Size of Plots (in sq. mtr.)	Number of Plots*			Registration Amount (in ₹)	
		Total	General Category	Farmer's Category	General	SC/ST
1	120	600	465	135	1,71,000/-	85,500/-
2	162	300	232	68	2,31,000/-	1,15,500/-

*N.B. The number of plots may be increased or decreased at the discretion of the Authority without assigning any reason thereof.

In case the Authority has to pay enhanced land compensation/acquisition cost/no litigation incentive/ex-gratia amount as per the order of the Court or by the State Government or by the Authority, the Lessee/Allottee shall have to share the proportionate increase and shall pay such enhancement as demanded by the Authority.

3. PRESCRIBED RESERVED CATEGORY

Sl. No.	Reserved Category	%age of Reservation
1	Farmers whose land has been acquired/purchased for the planned development of Yamuna Expressway Industrial Development Authority	17.5 %
2	Functional Institutional/Industrial/Commercial Units allotted by Yamuna Expressway Industrial Development Authority	5 %
	Total	22.5%

Note:

- Out of the plots reserved for Institutional/ Industrial/ Commercial functional units/establishments and farmers whose land has been acquired, 21% and 2% plots will be reserved for SC/ST applicants respectively.
- Keeping in view the provision under section 43 of THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995 and decision taken in 49th Board of under dated 12.02.2014 a total 3% horizontal reservation shall be kept in other reserved categories as defined above and in unreserved (general) categories as well.
- Handicapped/SC/ST applicants of the aforesaid categories shall have to enclose an attested copy of the certificate issued by Competent Authority otherwise he/she shall not be given the benefit of reservation.
- After allocation to all applicants in reserved category, the remaining plots if any shall be transferred to General Category at the time of draw of lots.

4. PREMIUM ON PLOT:-

The rate of the land of the residential plot under this scheme is Rs. 14200.00 (Rupees Fourteen Thousand Two Hundred) per sq. Mtr.

5. PAYMENT METHOD:-

All payments shall be made in favour of Yamuna Expressway Industrial Development Authority in the form of Demand Draft/Pay Order payable at New Delhi/ Noida/Greater Noida to the bank branches authorized by the Authority, list whereof is available on the last page of this Brochure.

Payment also can be made online on the website of Yamuna Authority i.e. www.yamunaexpresswayauthority.com through net banking. No payment in cash shall be acceptable.

6. ALLOTMENT PROCESS:-

- The allotment shall be through draw of lots of plot numbers.
- Draw shall be undertaken for each category separately.
- Within category, first draw shall be conducted for applicants who chose option 1 as payment plan.
- Thereafter second draw shall be conducted for applicants who choose option 2 as payment plan for the remaining plots.
- Thereafter third draw shall be conducted for applicants who choose option 3 as payment plan for the remaining plots.

7. ADJUSTMENT/REFUND OF REGISTRATION AMOUNT:-

- In the case of successful applicants, the registration money shall be adjusted against the total payable premium of the plot.
- In the case of unsuccessful applicants, the registration money shall be refunded without any interest, if period of deposit of such registration money with the Authority is less than 12 months from the date of draw. In the event, the refund is made in excess of a period of 12 months from the date of draw, then such

registration money shall be paid back alongwith simple interest @ 4%p.a. for such excess period. It is made clear that the interest on deposited amount will be calculated from 366th day of the date of the draw. In no case the period or deposit of this amount will exceed than 12 months.

- (iii) The applicants, in their own interest has to mention their Bank Account Numbers, Bank name, IFSC code and address of the Bank in the application form so as to facilitate the issuance of the refund cheques/NEFT/RTGS by the registering banks.

8. PAYMENT OPTIONS:-

The following options are available to Allottees for depositing the land premium.

Option 1:-

- 100% of the total premium (including registration fee) to be paid within 60 days from the date of issue of allotment letter.

Option 2:-

- 50% of the total premium (including registration fee) to be paid within 60 days from the date of issue of allotment letter.
- Remaining 50% shall be payable in two equal half-yearly instalments calculated from the 61st day from the date of allotment with interest @12% p.a. on reducing principal amount at the end of each half yearly.

Option 3:-

- 30% of the total premium (including registration fee) to be paid within 60 days from the date of issue of allotment letter.
- Remaining 70% shall be payable in Eight equal half-yearly instalments calculated from the 61st day from the date of allotment with interest @12% p.a. on reducing principal amount at the end of each half yearly.

9 EXTENSION OF TIME FOR MAKING PAYMENT:-

All payments shall have to be made within the time specified and no extension in time for making allotment money shall ordinarily be granted. However, in extraordinary circumstances, time for making payment can be extended by the Chief Executive Officer or any other officer authorized by him in this behalf for a maximum period of 30 days. Such extension of time, if granted, shall be subject to payment of an interest @ 15% p.a. compounded half-yearly on outstanding amount for such extended period on pro-rata basis.

10 PERIOD OF LEASE AND LEASE RENT:-

- Allotment of plot to Allottee shall be done on lease for a period of 90 years.
- The allotment of plot will be given to the Allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in lump sum at the rate of 11% of the total cost of the plot before execution of Lease deed.

11 AREA OF THE ALLOTTED PLOT:-

In some cases, the area of plot allotted may slightly vary, (increase or decrease) at the time of handing over possession of the plot. In such cases, the premium of the plot will stand varied proportionately. If variation in area is less than or equal to 10%, then on such basis the Allottee shall have no right to surrender the plot. However, if such variation is in excess of 10% of the area allotted, then it would be open to the Allottee not to accept the allotment and he/she can exercise the option of surrender. In such cases of surrender, after deduction of a token amount of Rs. 10000/- as a processing fee, the rest of the amount paid by the allottee shall be returned without any interest thereon.

12 AS-IS-WHERE-IS-BASIS:-

The plots will be allocated and accepted by the Allottee on "As-Is Where-is basis" unconditionally.

13 ALLOTMENT, POSSESSION, CONSTRUCTION AND SUB-DIVISION:-

- On the basis of availability of land, the number of plots available for allotment may be increased/reduced at the discretion of the Authority.
- In this scheme the allotment shall be done by manual draw. The tentative date of draw shall be 02.11.2015. Any change in the date of actual draw shall be informed to the applicants by means of publication in daily newspaper and will also be available at the website of YEA.
- Allotment letters to the successful applicants shall be sent within 30 days from the date of draw.
- The possession of the allotted plot will be handed over only after deposition of minimum 50% of the total premium (inclusive of the registration money) of the allotted plot in each case.
- Allottees shall have to get construction done after getting building plan sanctioned according to the Lease Deed and Building Regulations of the Authority applicable at the time of allotment.
- The Lessee/Allottee shall not be entitled to divide the allotted plot or to amalgamate it with any other plot.

14 PERIOD OF CONSTRUCTION:-

The Allottee/Lessee will have to complete the construction of 50% of maximum permissible F.A.R area on the plot and obtain occupancy certificate from the Authority within three years from due date of execution of Lease Deed. In case the Lessee does not construct the building within prescribed time period, the extension of time can be granted on payment of extension charges at the following rates:

- 4% of the total premium of plot for the first year.
- 5% of the total premium of plot for second year.
- 6% of the total premium of plot for third year.
- Beyond 3 years – 4% of sector rate per sq mt prevailing at time of grant of such extension

15. ELIGIBILITY TO APPLY

A. General Category:-

- (i) The applicant should be competent to contract and have attained the age of majority (18 years).
- (ii) All Indians/Non-Resident Indians who are neither in any way prohibited by the Government of India nor by U.P. Government under any specific rules to purchase any immovable property in U.P., shall be eligible to apply.
- (iii) Eligible persons can only apply for one plot under this scheme. Those who have been already allotted residential plot or flat by YEIDA in any scheme are not eligible to get allotment under this scheme.
- (iv) Applicant, his/her spouse or his/her minor dependent children can apply for only one plot. If it is found at later stage that an applicant his/her spouse or his/her minor dependent children have applied to more than one plot, then his/her all the application/allotment shall be cancelled & registration money shall be forfeited by the Authority.

B. Eligibility for prescribed reserved category applicants:-

- (i) The applicant should be competent to contract and have attained the age of majority (18 years).
- (ii) Only such applicants/ Institutional/ Industrial/ Commercial establishments or their managing Director/ whole time Director(s)/ Proprietor/ Partner(s)/ Trustee(s) and Tenure-holders/ Co-tenure Holders of the land acquired by Yamuna Expressway Industrial Development Authority shall be Eligible, provided they have not been allotted any residential plot/flat in the earlier schemes of the Authority.

C. Eligible bonafide institution:-

Bonafide institution fulfilling the under mentioned conditions on or before closing date of the scheme will be eligible:

- (i) The institution should have been allotted the Institutional/Industrial/Commercial plot/premises in its name on or before 30-06-2015 & has taken physical possession of institutional/ industrial/ commercial plot/ premises after legal documentation and has been declared functional from YEIDA on or before closing date of the scheme. The applicant has to enclose a certified copy of the functional certificate with the application form.
- (ii) The institutional/ industrial/ commercial establishment has cleared all payable dues of the Authority up to date on account of premium, lease rent, interest etc. by the closing date of scheme. Applicant has to enclose No Dues Certificate issued by the Authority with the application form.
- (iii) In case application is being made by Managing Director/Whole-time Director/Trustees /Executive member, their names should have been taken on record by the Property Department of YEIDA on or before closing of scheme.
- (iv) In case applicant is made by the Educational Institution/ Industrial/ Commercial, the names of their Directors / Trustees / Chairman / Vice-Chairman / Executive Members should have been taken on record of the Authority on or before closing date of the scheme. An institution/ firm is eligible to submit only one application.
- (v) Such Institutional/ Industrial/ Commercial establishment / their Director / Trustee / Executive Member shall not be eligible where the institutional Establishment has been obtained through transfer and past owner had already obtained a residential plot/flat.
- (vi) The eligibility for allotment of plot shall be for one plot only either in the name of institution/ industrial/ commercial or its Bonafide Managing Director/Whole-time Director/ Trustee/ Executive Member, irrespective of number of premises in possession of the institution/ firm.
- (vii) Charitable/Religion institution and its members/trustees are not eligible for allotment of residential flat.
- (viii) The applicant company shall submit its Resolution to the effect that the company is applying in its name or Sole owner/Partner/Managing Director/Full time Director and the same is authorized (name & designation) to apply and sign the application form.

D. Eligible Farmers whose land has been acquired / purchased by YEIDA:-

The detailed eligibility conditions and the procedure for allotment under this category are enumerated as follows:

- (i) Only those farmers are eligible to apply under this scheme, whose land has been acquired/purchased and unhindered/without encroachment possession has been taken by YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY before closing date of this scheme. (Undertaking-I on Stamp Paper of Rs. 100/- is to be given by the applicant farmer as per Performa given in the Brochure)
- (ii) In case a land owner has already been allotted residential flat/plot built up flats in his/ her name or his/her spouse/dependent children, in any of the residential schemes of the Authority, he/ she shall not be eligible to apply under this scheme.
- (iii) In case there is more than one joint-khatedar, all joint khatedars can apply under this scheme. Draw between all such eligible joint khatedar of a khata shall be made and one successful applicant, out of all joint- khatedars, shall be selected and will be included in the final draw of lots.
- (iv) Under this category, successful applicant/allottee cannot transfer the allotted plot up to five years from the date of allotment.
- (v) No encroachment should have been done by the applicant on land acquired/purchased by Yamuna Authority irrespective of acquired land or any other land against which the application for allotment is being made in this Scheme. A declaration to this effect shall have to be given on Stamp Paper of Rs. 100/- by the applicant farmer as per Performa given in the application form (Undertaking-II).
- (vi) The applicant has received entire compensation of the land acquired without any contest/litigation. The applicant has to submit Form-11 issued by the Competent Authority with the application.
- (vii) The applicant farmer and all Khatedars, shall submit an affidavit stating that they shall not file a legal case in any court for enhancement of compensation or claim of additional land.
- (viii) If, on verification or at any stage it is found that there is a violation of any of the above mentioned conditions then the application will be rejected and registration money will be refunded without any interest.

16. PROCEDURE TO APPLY:-

- (i) The application form can be collected on payment of Rs. 1000/- from any of bank branches listed in the last page of this booklet. For getting the application

form by post, applicants have to send a demand draft of Rs. 1100/- in favour of Senior manager, HDFC Bank Ltd. C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida (U.P.).

- (ii) The application form can also be downloaded from the website of the Authority, i.e. www.yamunaexpresswayauthority.com. While applying on a downloaded form, it is essential that the applicant attaches an additional demand draft of Rs. 1000/- towards the cost of form. The DD shall be in favour of Senior manager, HDFC Bank Ltd. C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida (U.P.) payable at Noida/Greater Noida/Delhi. Downloaded form from internet shall be deposited only in all those branches of HDFC Bank Ltd. Which are mentioned in the list at the last page of this brochure.
- (iii) The application may be submitted online on the website of the Yamuna authority i.e. www.yamunaexpresswayauthority.com through net banking.
- (iv) **The application forms for Farmers Category can be purchased and submitted only respective Bank.**

S. No.	Bank Code	Name & Address of the Bank/Branch
1	01	HDFC Bank, C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida. HDFC Bank, Shop No.3/4/11, Ground Floor, Block No-17/2/4, Friends Plaza, Sanjay Palace, Agra. HDFC Bank, 3-316, Bhalia Complex, Near Devtray Hospital, Ramghat Road, Aligarh. HDFC Bank, 169/2, Gaushala Road, Bhuteshwar Road By Pass Road, Mathura. HDFC Bank, 460. D.M. Road, Bullandshahr. HDFC Bank, Vishal Motors, Sadabad Gate, Agra, Aligarh Road, Hathras. HDFC Bank, NH Plaza, G.T. Road, Near LIC Building, Khurja.U.P.

- (v) The application form duly completed and signed along with the required registration money and all the required annexures shall be submitted to any of the bank branches listed on the page of this brochure on any working day during the period between the date of opening and the date of closure of this scheme.
- (vi) If the application is incomplete in any respect whatsoever or if any column is left blank or if the photo is not pasted at the designated place or mentioning an incomplete or untrue address or the bank draft or pay order is not attached or no signature or thumb impression found on the declaration, the application shall not be considered at all.

(vii) **The acknowledgement receipt of the application form shall be given by the respective Banks.**

S. No.	Bank Code	Name & Address of the Bank/Branch
1	01	Axis Bank, Sector-16, Noida. Axis Bank, Sector-18, Noida.
2	02	Axis Bank, 6/83, Padam Singh Road, WEA, Karol Bagh, New Delhi
3	03	Bank of Baroda, First Floor, Commercial Complex, Block-P-02, Sector-Omega-1, Greater Noida Bank of Baroda, Sector-Gamma-02, Greater Noida
4	04	HDFC Bank, C - 1, Alpha Plaza Alpha Commercial Belt Greater Noida HDFC Bank, G- 28/29, First Floor, Sector- 18, Noida HDFC Bank, Shoprix Mall, Sector-61, Noida. HDFC Bank, H-69, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi
5	05	ICICI Bank, P-2, Commercial Complex, Sector-Omega-1, Greater Noida. ICICI Bank, K-1, Senior Mall, Sector-18, Noida.
6	06	Oriental Bank of Commercial, Jagat Farm, Sector- Gamma-01, Greater Noida

17. CHANGE IN ENTRIES IN APPLICATION FORM

- (i) Once the application form is submitted, only change of address is allowed. For any other change an approval in writing of the CEO, YEIDA or any such officer as may be deputed on his behalf shall be required.
- (ii) Change in address, if any, may be communicated to the Authority by registered post to Residential plot department, YEIDA. The applicant shall make arrangement to get letters redirected to the changed address, respectively for undelivered letters. However, date of allotment letter shall hold good for payment of allotment money and instalment, in case of delay in receipt of letter due to change in address.

18. WITHDRAWAL/SURRENDER:-

- (i) In case of surrender before draw of lots, the entire Registration Money deposited shall be refunded without interest.
- (ii) In the case of withdrawal of the application after draw and before any allotment letter is issued, then after deducting an amount of Rs.10000/- from the registration money, the balance shall be refunded without any interest thereon.
- (iii) In the case of surrender at any time after allotment but before the execution of lease deed, then after deducting an amount equivalent to registration amount, the balance shall be refunded without any interest thereon.
- (iv) In the case of surrender at any time after the execution of lease deed then out of the deposited amount, an amount 30% of the total premium of the plot shall be deducted, and the balance shall be refunded without any interest thereon.

- (v) Application for withdrawal of the application or surrender of the application shall be either sent by registered posts with acknowledgement due OR by personally at the reception office of the Authority against stamped receipt. The date of withdrawal/surrender shall be the date of which the application alongwith the required documents is actually received in the office of the Authority. No claim on the basis of postal certificate will be entertained.
- (vi) Alongwith the application for surrender the allottee shall have to attach the originals of the receipt of the registration form, allotment letter.
- (vii) The signature of the applicant is a must on the application for withdrawal /surrender and a self-attested photograph should also be pasted on it.

19 CANCELLATION:-

The Authority / Lessor shall be free to exercise its rights of cancellation of allotment/lease in the following cases:

- (i) Allotment / lease having been obtained through fraud, misrepresentation, mis-statement, or on account of suppression of material facts.
- (ii) Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority or by any other statutory body.
- (iii) For breach, violation of the terms and conditions of registration / allotment / lease and / or non deposit of amount payable to the Authority as per the schedule prescribed in the letter of allotment / lease as the case may be, on the part of the applicant / allottee/ lessee.
- (iv) In case default any three consecutive instalment, the allotment may be cancelled.
- (v) In the event of cancellation, under sub- clause (i), (ii), (iii) and (iv), above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and possession of the plot shall be resumed by the Authority/ Lessor with structures thereon, if any, and the allottee/ lessee will have no right to claim any compensation thereof. Without prejudice to the aforesaid, the Authority shall also have the liberty to initiate legal action against such allottee/ lessee.
- (vi) The amount forfeited under clause (iv) above shall not exceed the amount lying in deposit with the authority. No separate notice in this regard shall be issued.

20 RESTORATION:-

The Chief Executive Officer can restore the cancellation of plot if the Allottee applies for restoration within 6 months of cancellation and deposits entire arrear amount due till that date. The Authority will also charge 10% of the total current premium amount of the plot as restoration charges.

21 Overriding Power over dormant Properties:-

The Lessor reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold, earth oils, quarries in or under the plot and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the building or for the structure time being standing thereon. The Lessor shall make reasonable compensation to the Allottee/ Lessee for all damages directly occasioned by exercise of the rights hereby reserved. The decision of the CEO on the amount of such compensation will be final and binding on the Allottee/ Lessee.

22 EXECUTION OF LEASE DEED:-

- (i) The allottee will be required to enter into legal documentation (execution and registration of lease deed) and take possession of the plot within a period of 60 days from the date of offer of possession/intimation to do so. In the event of failure to do so, allottee shall be liable to pay administrative charges at the rate of 1% of the total premium for the extension of one year from the due date given for the execution of legal documents. If the allottee fails, to execute legal documents within the extended time, action for cancellation of allotment and forfeiture of deposited money shall be taken.
- (ii) Stamp charges, registration charges and all other expenses payable on the execution of the above document shall be borne by the allottee.

23 MORTGAGE:-

Any Lessee, with the previous written permission of the lessor or any officer authorized in that behalf, may mortgage the lease plot (i.e. after execution of the lease deed) for the purposes of procuring a loan from any bank/financial institution. In the event of grant of permission to mortgage the Authority shall have first charge over the mortgaged plot. All other terms and condition on which mortgage is permitted shall be binding on the allottee.

24 TRANSFER OF PLOT:-

(i). In favour of Legal Heirs-

Upon the death of the Allottee/ Lessee transfer of plot to the Allottee's/ Lessee legal heirs will be allowed with prior written permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard, subject to the fulfilment of prescribed conditions which are prevalent as on the date of grant of permission. No transfer charges are payable in case of transfer by succession.

(ii). In favour of all others, except legal heirs-

No transfer of the allotted/leased plot to any person, other than legal heir of the Allottee/ Lessee, shall be permissible except on a written request made by the Allottee/ Lessee followed by prior written permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the Chief Executive Officer. Such permission may be granted subject to payment of transfer charges AND compliance of such other terms and conditions which may be imposed by the Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in accordance with the polity of the Authority existing on the date of grant of permission to transfer. The permission to transfer shall be effective only after deposit of the transfer charges as may be in force at that time and fulfilment of all other requirement as may be set out in the permission for transfer. The power to reject or accept such request for transfer by an allottee/ lessee shall vest in the Chief Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf.

25 LAND USE:-

The allotted/leased plot shall be used only for residential purpose and for no other purpose whatsoever. The allottee shall not indulge/carry out any activity on or from the premises which may amount to change in land use or likely to cause pollution or nuisance. Use of plot for any non-residential purpose like

shop, office, clinic, nursing home, school, crèche etc. would amount to breach of the terms and conditions for which the allotment/lease would be cancelled and the Authority would be free to seal/re-enter the demised premises. The lessee shall not display or exhibit any posters, statues and other articles which are indecent or immoral.

26 LIABILITY TO PAY TAXES:-

The allottee / lessee shall be liable to pay all charges, taxes, fee assessment of every description in respect of the allottee / leased plot as may be imposed by the Lessor or any other competent Authority.

27 OTHER CLAUSES:-

- (i) The Chief Executive Officer or any officer authorized by him in this regard reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he/she may consider just or/and expedient and the same shall be binding on the allottee/lease.
- (ii) In case of any clarification on interpretation regarding these terms and conditions the decision of the Chief Executive Officer shall be final and binding on the applicant/allottee/ lessee.
- (iii) The allottee shall have to comply with the provisions of the UP Industrial Area Development Act, the Rules and Regulations and bye laws made there under or directions issued from time to time by the Authority or any officer authorized in this regard with respect to the maintenance of land, building and surrounding areas etc.
- (iv) If due to any "force majeure" or any circumstances beyond the control of the Authority, the Authority is unable to make allotment or hand over the possession of the allotted plot, the entire deposit amount will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum from the date of deposit till the date of payment. It is clarified that the month of deposit and the month of refund shall not be counted for the purposes of calculation of interest.
- (v) Any dispute between the Authority/Lessor and allottee/lessee shall be subject to the territorial jurisdiction of the civil courts of Gautam Budh Nagar or the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
- (vi) All dues payable to the Authority shall be recovered as arrears of land revenue.
- (vii) Mere deposit of registration amount would not constitute a right to allotment of a plot.
- (viii) In the event of any discrepancy between the Hindi and English version of the brochure, the English version shall be deemed to be final and binding on the Applicant/Allottee/Lessee.
- (ix) The Authority has undisputed right to withdraw/amend the scheme at any time without assigning any reasons thereof.

For more information kindly contact:
Manager (Relationship)
(Property : RPS-02/2015, Residential Plot Scheme)
Telephone No. : 0120-2395152, 2395157, Fax No : 0120-2395150
Website : www.yamunaexpresswayauthority.com

**Application forms can be downloaded/submitted online on our
website www.yamunaexpresswayauthority.com**

‘Undertaking’ is available on page no. 15

Undertaking - I

प्रतिभूपत्र-1

मैं पुत्र श्री ग्राम का निवासी हूँ तथा ग्राम के खाता संख्या खसरा संख्या में मेरा भाग क्षेत्रफल था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1)/17 की अधिसूचना दिनांक को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक को जारी होकर कब्जा दिनांक को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

Undertaking - 2

प्रतिभूपत्र-2

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम के खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

(APPLICATION FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS, INCOMPLETE AND INCORRECT APPLICATION WILL BE SUMMARILY REJECTED. NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED IN THIS REGARD)

आवेदन - पत्र बड़े अक्षरों में भरें। अपूर्ण और अशुद्ध आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा। इस बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

For General & Prescribed Reserved Categories

सामान्य एवं विहित आरक्षित श्रेणी।

Form Serial No.

प्रपत्र क्रमांक संख्या

19185

Scheme Code :

योजना कोड

RPS - 02/2015

Bank Code

बैंक कोड

Date of Birth

जन्म तिथि

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
तिथि		माह		वर्ष			

Affix passport size photograph attested by Self

आवेदक स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

1. (i) Name of the Applicant:

आवेदक का नाम

(Any future correspondence or refunding shall be made in the name of the applicant only) (भविष्य में पत्र व्यवहार या पंजीकरण राशि की अदायगी केवल आवेदक के नाम में की जायेगी)

2. Category applied for (General/ SC/ ST/ Institutional/ Commercial/ Handicapped) :

आवेदित श्रेणी (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति/ संस्थागत/ व्यावसायिक/ विकलांग)

3. Father's / Husband's Name

पिता / पति का नाम

4. (i) Mailing Address:

डाक का पता

Pin Code

पिन कोड

(ii) Phone No. (if any)

दूरभाष सं० (यदि कोई हो)

(iii) Email

ईमेल

5. (I) Permanent Address:

स्थायी पता

Pin Code

पिन कोड

(ii) Phone No. (if any)

दूरभाष सं० (यदि कोई हो)

(iii) Email

ईमेल

6. Please ☒ appropriate. कृपया उपयुक्त पर ☒ का निशान लगाएं।(i) Marital Status Single ☐ Married ☐

वैवाहिक स्थिति

(ii)

Sex

M ☐ F ☐

पु म

(iii)

Age

उम्र

7. Category of Plot and Payment plan (please ☒ applicable). भूखण्डों की श्रेणियाँ एवं भुगतान का तरीका (कृपया उपयुक्त पर ☒ का निशान लगाएं।)

Category of Plot भूखण्डों की श्रेणियाँ

01

120 sqm

02

162 sqm

Payment plan भुगतान का तरीका

01

Option 1

02

Option 2

03

Option 3

8. Details of Remittance भुगतान का ब्योरा :

By Draft / Pay Order ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर द्वारा रु०

Number / संख्या

Dated / दिनांक

Drawn on / पारित किया गया

9. Details for Refund Cheque to be sent to Unsuccessful Applicant: (असफल आवेदक रिफण्ड चेक के भुगतान के लिए विवरण)

Name of Bank and Branch / बैंक का नाम एवं शाखा :

Bank Account No / बैंक खाता संख्या:

IFSC Code / आई.एफ.एस.सी कोड:

10. For Institutional/ Commercial/ Industrial Unit its Sole Proprietor/ Partner/ Managing Director / Whole Time Director/ Trustee

यदि आवेदक इकाई संस्थागत/व्यावसायिक/औद्योगिक का एकल स्वामी/साझेदारी/प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/ट्रस्टी है।

(i) Allotment No. अलॉटमेंट संख्या. Plot No. प्लॉट नं० Sector सेक्टर

(ii) Name of the Unit & its location/ इकाई का नाम एवं पूरा पता।


(iii) Constitution of Unit/Establishment. इकाई का प्रतिष्ठान/इकाई संस्था का गठन।

(iv) Functional Date. इकाई क्रियाशील होने की तिथि: ____/____/____ (कृपया क्रियाशील प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं।)

(v) Status of the applicant with the unit/Establishment/Institution/ आवेदक का इकाई में स्टेटस (कृपया रिजोल्यूशन की प्रति लगाएं।)

MASTER PLAN FOR YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA (PHASE - I) - 2021

(For Notified Area of Gautambudh Nagar & Bulandshahr District)



YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल, वाणिज्यिक परिसर, ब्लॉक P-2, सेक्टर - ओमेगा 1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर

टेलीफोन : 0120-2395152, 0120-2395157

वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

₹ 1000/-
(Inclusive of Taxes)